(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1485–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–5–2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक बावडिया कला राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल प्रकरण कमांक 31/अ–12/16–17.

मेसर्स डी.के. कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार
नीरज गोयल आत्मज पी.डी. गोयल
कार्यालय का पता पंडित दीन दयाल
परिसर, 105, 106, प्रथम तल ई–2
अरेरा कॉलौनी, भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

1– पम्पोश गृह निर्माण सहकारी समिति
द्वारा वर्तमान अध्यक्ष
श्रीमती जया कृपलानी पत्नी ओ.पी. कृपलानी
2– सॉई पथ इन्फा एंड सर्विसेज प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्टर
ओ.पी. कृपलानी आत्मज स्व. मूलचंद कृपलानी
निवासीगण मकान नं. 659/ई–7,
पंजाब नेशनल बैंक के पास
अरेरा कॉलौनी, भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक बावडिया कला राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बावडिया कला तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 250/2/1, 250/2/2, 250/2/3, 250/2/4, 250/2/8, 263/4, 252/3, 256/1/1, 261/1/1, 253, 250/2, 263/8 एवं 262/2 कुल रकबा 2.85 एकड़ के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक टी.टी.नगर वृत्त भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ–12/16–17 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 6–5–2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन करने में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा सर्वे कमांक 256/1 एवं 261/1 के सम्बन्ध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा इसके विपरीत सर्वे कमांक 256/1/1 एवं 261/1/1 का उल्लेख करते हुए सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन हेतु दिनांक 3–5–2017 की तारीख नियत की गई थी, किन्तु उक्त दिनांक को सीमांकन नहीं किया जाकर दिनांक 6–5–2017 को सीमांकन किया गया है, जिसकी सूचना आवेदक को नहीं दी गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का बिना पालन किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदक को सूचना दी जाकर सीमांकन की कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदकगण के स्वत्व की भूमियों का ही सीमांकन किया गया है और दिनांक 6–5–2017 को किये गये सीमांकन की सूचना आवेदक को दी गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर सीमांकन कार्यवाही यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है के राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को व्यक्तिशः सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में संलग्न पंचनामा में मेंड़ो/तिमेड़ों से सीमांकन किये जाने का उल्लेख है । अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर, उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक बावडिया कला राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2017 निरस्त किया जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन भूमि का पुनः विधिवत सीमांकन किये जाने हेतु प्रकरण राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर